

राजस्थान सरकार  
कृषि विषयन निदेशालय

क्रमांक:प.3(37A)निकृषि / नियमन /

जयपुर, दिनांक

कार्यालय आदेश

राजस्थान कृषि उपज विषयी अधिनियम, 1961 की धारा 35(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जी.पी.शुक्ला, निदेशक कृषि विषयन विभाग, राजस्थान, जयपुर राजस्थान कृषि उपज विषयी अधिनियम, 1961 की धारा 37(3) के अधीन मंडी समितियों की उप विधि संख्या 18 में हमाली/मजदूरी दरें (मंडी खर्च) एक वर्ष में अधिकतम 8प्रतिशत तक की वृद्धि करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन (Delegation) तुरन्त प्रभाव से क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, कृषि विषयन विभाग को करता हूँ।

४०  
(जी.पी.शुक्ला)  
निदेशक एवं  
पदेन उप शासन सचिव  
कृषि विषयन

क्रमांक:प.3(37A)निकृषि / नियमन / १९६५-१३५१६ जयपुर, दिनांक २८/०८/६८  
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है:-

1. अति.निदेशक, कृषि विषयन गुरुखालय, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, कृषि विषयन मुख्यालय, जयपुर।
3. संग्रह शाखा प्रभारी, कृषि विषयन मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, कृषि विषयन विभाग, छाल
5. संग्रह राज्यिक कृषि उपकरण भवी समिति

निदेशक एवं  
पदेन उप शासन सचिव  
कृषि विषयन